समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण वाद संख्या–29 / 2023–24
जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)
–बनाम्–
रविन्द्र यादव
–::आदेश::–

11.10.2023

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–32 / 2023, दिनांक–13.07.2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि बी0टी0पी0एस0 थाना कांड सं0–22 / 2023, दिनांक–25.04.2023, धारा–414 भा0द0वि0 21 जे0एम0एम0डी0आर0 एक्ट, 54 झारखण्ड लघु समनुदान नियमावली के अन्तर्गत जप्त हाईवा रजि0 सं0–JH09AK-5936 एवं उस पर लदा करीब 500 घनफीट स्टोन चिप्स, वाहन मालिक श्री रविन्द्र यादव पिता गोपाल यादव, हाऊस नं0–35, अरमो, गोविन्दपुर, जिला बोकारो के विरूद्ध स्टोन चिप्स के अवैध खनन एवं परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप उनके The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत जप्त वाहन एवं उस पर लदे स्टोन चिप्स को राजसात् की कार्यवाही करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

उक्त के क्रम में राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता, बोकारो को सुना गया। विपक्षी सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित पाये गये।

राज्य सरकार की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि दिनांक–25.04.2023 को समय करीब 2:05 अप0 बजे खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, बोकारो एवं पुलिस बल के साथ बी0टी0पी0एस0 थाना अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र गोविन्दपुर BTPS मुख्य पथ के (कारमेल स्कूल के समीप) निरीक्षण अभियान के क्रम में अवैध रूप से एक हाईवा रजि0 सं0–JH09AK-5936 एवं उस पर लदा करीब 500 घनफीट स्टोन चिप्स खनिज का प्रेषण करते हुए पकड़ा गया।

अवैध तरीके से प्रश्नगत स्टोन चिप्स का परिवहन किया जाना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। उल्लेखनीय है कि बिना वैध परिवहन चालान के खनिजों को उत्खनन कर परिवहन करना MMDR Act, 1957 की धारा–4(1)/4(1A) का उल्लंघन है, जो धारा–21 के तहत दण्डनीय है। इसके साथ ही झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम–4 का भी उल्लंघन है और नियम 54 के तहत दण्डनीय है। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के अन्तर्गत विपक्षी को किसी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है।

विपक्षी को निबंधित डाक के माध्यम से नोटिस भेजे जाने के बाद भी वह वाद के सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित है। उनके द्वारा अपने बचाव में अब तक किसी भी प्रकार का कारण–पृच्छा भी दाखिल नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हें अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहना है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत वाहन के चालक/मालिक के द्वारा बिना वैध परिवहन चालान के ही प्रश्नगत स्टोन चिप्स का परिवहन किया जा रहा था। बिना वैध कागजात के स्टोन चिप्स का परिवहन करने से सरकार को राजस्व की क्षति हुई है। बिना वैध परिवहन चालान के खनिजों को उत्खनन कर परिवहन करना MMDR Act, 1957 की धारा–4(1)/4(1A) का उल्लंघन है, जो धारा–21 के तहत दण्डनीय है। इसके साथ ही झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम–4 का भी उल्लंघन है और नियम 54 के तहत दण्डनीय है एवं The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के नियम–9 का उल्लंघन है जो नियम 13 के तहत दण्डनीय भी। ऐसे में जप्त वाहन को अवैध रूप से स्टोन चिप्स का परिवहन करने के आरोप में प्रतिवादी को किसी भी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है। अतः जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के

अधियाचना सं0–32/2023, दिनांक–13.07.2023 को स्वीकृत करते हुए बी0टी0पी0एस0 थाना कांड सं0–22/2023, दिनांक–25.04.2023, धारा–414 भा0द0वि0 21 JMMRD Act, 54 झारखण्ड लघु समनुदान नियमावली के अन्तर्गत जप्त हाईवा रजि0 सं0–JH09AK-5936 एवं उस पर लदा करीब 500 घनफीट स्टोन चिप्स को राज्य सरकार के हित में राजसात् (Confiscate) किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तद्नुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

11.10.23 | 11.10.23
समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी बोकारो। | समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.16 16:34:13 +05:30
Location: 192.168.1.103